

नियम-6 का
संशोधन

2. उत्तर प्रदेश पुलिस शक्तियों को विधायक (दूरसंचार) 1979 में, सीधे संसद में लिए गए विधायक खण्ड (क) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1

विद्यमान खण्ड

(क) निदेशक (पुलिस दूरसंचार)

एसे उप महानिरीक्षक (दूरसंचार) में से किन्होंने सर्वांगीण कुल 28 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, योग्यता के आधार पर जिसका अवधारण चरित्र पंजी में दी गयी प्रविष्टियों के अनुसार दिया जायेगा, पदोन्नति द्वारा।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड

(क) निदेशक (पुलिस दूरसंचार)

एसे उप महानिरीक्षक (दूरसंचार) में से किन्होंने ऐसे पदों पर जो वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, योग्यता के आधार पर जिसका अवधारण चरित्र पंजी में दी गयी प्रविष्टियों के अनुसार किया जायेगा, पदोन्नति द्वारा।

आज्ञा से,

देशाधीन पण्डित,

प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 9/2016/1234/VI-pu-1-16-1300(23)/2000, dated May 12, 2016:

No. 9/2016/1234/VI-pu-1-16-1300(23)/2000

Dated Lucknow, May 12, 2016

IN exercise of the powers under section 15 of the United Provinces Pradeshi Armed Constabulary Act, 1948, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Police Radio Service Rules, 1979.

THE UTTAR PRADESH POLICE RADIO SERVICE (THIRD AMENDMENT) RULES, 2016

Short title and
commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Police Radio Service (Third Amendment) Rules, 2016.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.

Amendment of
rule 5

2. In the Uttar Pradesh Police Radio Service Rules, 1979, in the rule 5, for existing clause (vi) set out in Column-I below, the clause as set out in Column-II shall be substituted, namely:-

COLUMN-I

Existing clause

COLUMN-II

Clause as hereby substituted

(vi) Director (Police Telecommunication)

By promotion on the basis of merit to be determined on the entries amended in the character roll from amongst Deputy Inspector General (Police Telecommunication) who have completed 28 years of service in the cadre.

(vi) Director (Police Telecommunication)

By promotion on the basis of merit to be determined on the entries amended in the character roll from amongst Deputy Inspector General (Police Telecommunication) who have completed two years of service on such post.

By order,

DEBASISH PANDA,

Pranukh Sachiv.

डी०एस०टी०-५०१०-८९ राजपत्र (हि०)-2016-(193)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।

डी०एस०टी०-५०१०-२ सा० गृह पुलिस-2016-(193)-500 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)

(सामान्य परिशियम नियम)

लाखनऊ, बृहस्पतिवार, 12 मई, 2016

वैशाख-22, 1938 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

गृह (पुलिस) अनुभाग-1

संख्या 9/2016/1234/6-पु-1-16-1300(23)/2000

लाखनऊ, 12 मई, 2016

अधिसूचना

प्रकीर्ण

शा1040/गि०-38

संयुक्त प्रांतीय आर्म्ड कान्सटेबुलरी ऐक्ट, 1948 (संयुक्त प्रांत ऐक्ट संख्या 40 सन 1948) की धारा 16 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो सेवा नियमावली, 1979 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2016

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो सेवा (तृतीय संशोधन) संशोधन नाम और नियमावली, 2016 कही जायेगी।
प्रारम्भ

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।